न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
06/22	एफएसएस एक्ट, 2006	25/08/2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. प्रणय खंडेलवाल पुत्र श्री सुनील खण्डेलवाल उम्र 24 वर्ष जाति वैश्य निवासी हैड पोस्ट ऑफिस के सामने गंगापुर सिटी (एबीओ व मालिक) फर्म–बालाजी सुपर मार्ट , हैड पोस्ट ऑफिस के सामने गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 24.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 01.02.2022 को दोपहर 01:00 पी.एम. पर मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडर्स पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी पर पहूँचा। मौके पर मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम प्रणय खंडेलवाल पुत्र श्री सुनील खण्डेलवाल उम्र 24 वर्ष जाति वैश्य निवासी हैड पोस्ट ऑफिस के सामने गंगापुर सिटी बताया। आवेदक द्वारा नमूना संख्या एच– 2202 खाद्य अरहर दाल 40 किलो कट्टे में बिक्री हेतु रखी हुई थी को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त अरहर दाल का नमूना जांच हेतु देने हेतु विक्रेता से कहा और फार्म 5ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा विक्रेता की उक्त 40 किलो अरहर दाल में से 4 किलो अरहर दाल वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री प्रणय खंडेलवाल पुत्र श्री सुनील खंडेलवाल को 400/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीदशुदा 10 किलो अरहर दाल को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा अरहर दाल को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतलों में डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किये गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये, लेबलों पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोड कमांक एच–2240 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लेपटकर कागज कोनों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2202 नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भाग को अपने जाप्ते में लिया।

तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगायी। जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म स0 6 की प्रति के खाकी कागज में लेपटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाकर चारों और से मजबूत धागे से बांधकर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को मो0 असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। सील बन्द नमूना के दो भाग मय फार्म स0 6 की दो प्रतियाँ एक खाकी कागज में लेपटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाकर सील बन्द किया तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी०ओ० एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसएआई/22/385 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएल/903/एफआर/2022/342 दिनांक 15.03.2022 का अवलोकन करने पर नमूना असमानक प्रकृति का पाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएल/903/एफआर/2022/342 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने असमानक खाद्य वस्तु अरहर दाल का निर्माण व विक्रय करना पाया गया है।

जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का ओद्योपान्त अवलोकन किया खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएल/903/एफआर/2022/342 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा निर्माण व विक्रय खाद्य पदार्थ अरहर दाल असमानक प्रकृति का पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से 25000 (पच्चीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिये चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद मुद्दत मियाद अंतिम नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधे वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी